उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम
मुख्य कार्यालय :14/88 सिविल लाइन्स
कानपुर–208001 ग्राम UPFINCO
दूरभाष : 253868
पी.बी.एक्स : 2530041 से 2530044
फैक्स नं0 0512–2531201
headoffice@upfcindia.com

प्रिय उद्यमी मित्र,

उ0प्र0 वित्तीय निगम (यू0पी0एफ0सी) प्रदेश में लघु मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाईयों को दीर्घ अवधि ऋण के रुप में वित्तीय सहायता देता है।

1 नवम्बर, 1954 को स्थापित यू0पी0एफ0सी0 ने 31 मार्च, 2009 तक 41246 इकाईयों को रु0 3237.93 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। इन इकाईयों के माध्यम से लगभग 594566 रोजगार सृजित हुए है।

उद्यमियों की सहज जानकारी तथा सहायता के लिए निगम की विभिन्न योजनाओं, प्रक्रिया तथा प्रपत्रों, समय सारिणी तथा उद्यमी के दायित्वों की आवश्यक जानकारी इस नागरिक चार्टर के रुप में दी जा रही है।

किसी भी सहायता, मार्ग–दर्शन व परामर्श के लिए आपका हमारे मुख्यालय या आपके निकट स्थिति बारह क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वागत है।

प्रबन्ध निदेशक

U.P. Financial Corporation

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

सिटिजन चार्टर प्रणाली

- प्रदेश की औद्योगिक नीति के अनुरुप उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक प्रदेश बनाना।
- प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढावा देना।
- निगम द्वारा अपने कार्यकलापों तथा प्रक्रियाओं से पारदर्शिता अपनाना ताकि उद्यमियों को कोई शिकायत का अवसर न रहे।
- प्रचलित प्रतिभोगी दरों पर अपने उद्यमियों को त्वरित व उत्तम सुविधा/सेवा प्रदान करना ।

उद्देश्य

यू0पी0एफ0सी0 लघु व मध्यम स्तर की औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र की नई इकाई की स्थापना अथवा स्थापित इकाई के आधुनिकीकरण/विस्तार व उत्पाद विविधीकरण(डाइवर्सिफिकेशन) के लिए स्थाई सम्पत्तियों अर्थात भूमि, भवन, मशीनरी व संयत्र आदि के अर्जन के लिए ऋण उपलब्ध कराना ।

विभिन्न कार्यों हेतु समय सारिणी

क्र.सं.	प्रक्रियायें	निस्तारण समय सीमा	सक्षम समिति/अधिकारी
1.	ऋण के देयों का पुर्ननिर्धारण (Reschedulement)	वर्तमान में इकाई की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये देय किश्तों के पुर्ननिर्धारण की समय सीमा, इकाई द्वारा सम्पूर्ण सूचनायें एवं प्रकिया शुल्क देने के बाद निम्न प्रकार है।	
	अ. जहॉ इकाई का मूलधन रु0 50.00लाख तक हो i)यदि केवल मूलधन की देय किश्तों का पुर्ननिर्धारण करना है।	10से 15दिन	प्रथम बार क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वितीय बार वरिष्ठ प्रबन्धक।
	ii)यदि मूलधन तथा ब्याज का पुर्ननिर्धारण करना है।	15से 20 दिन	प्रथम बार महाप्रबन्धक द्वितीय बार वरिष्ठ निदेशक
	ब. जहॉ इकाई का मूलधन रु050.00लाख से अधिक है i) यदि केवल मूलधन की देय किश्तों का पुर्ननिर्धारण करना है।	30दिन	
	ii)यदि मूलधन तथा ब्याज की किश्तों का पुर्ननिर्धारण करना है।	30दिन	
2	इकाई का पुनर्वासन अ. निगम द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के लिये	इकाई द्वारा सम्पूर्ण सूचना देने के पश्चात ।	
	1. कुल देयता (मूलधन तथा ब्याज एवं अतिरिक्त ऋण) रु0 150.00लाख या इससे अधिक हो तथा जिसमें कोई माफी (waiver) नहीं है।	30दिन	आन्तरिक समिति
	2. कुल देयता (मूलधन तथा ब्याज) रु0 150.00लाख से कम तथा कोई अतिरिक्त ऋण नहीं एवं ब्याज में माफी का प्राविधान है।	30से 45दिन	समझौता समिति
	3. यदि कुल ऋण रु0 150. 00लाख से अधिक हो तथा अतिरिक्त ऋण पर तथा(waiver)भी सम्मिलित हो।	45से 60 दिन	कार्यकारिणी समिति
	ब.मण्डलीय उद्योग बन्धु/		

	बी0आई0एफ0आर द्वारा संदर्भित मामलों,जिसमें निगम को Operating Agency बनाया गया है। 1.सभी संस्थाओं जैसेः एक्साइज, व्यापार कर, बैंक, पिकप, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0वित्तीय निगम आदि के साथ प्रारम्भिक बैठक । 2.पुनर्वासन प्रस्ताव के प्रथम चरण का प्रारुप तैयार करना। 3.उपरोक्त(ब)में उल्लिखित संस्थाओं से पुनर्वासन प्रस्ताव पर विचार व सुझाव प्राप्त करना। 4.पुनर्वासन प्रस्ताव के अन्तिम रुप को मण्डलीय उद्योग बन्धु / बी0आई0एफ0आर0 में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा मुख्यालय के अनुमोदन के पश्चात् अग्रसारित करना।	इकाई द्वारा /operating Agency को एक विस्तृत पुनर्वासन योजना का प्रस्ताव (Detailed rehabilitation Proposal) देने के पश्चात । सभी चरणों में लगभग 90दिन	मण्डलीय उधोग बन्धु/बी0आई0एफ0आर0
3.	इकाइयों को एकमुश्त योजना के प्रस्ताव की स्वीकृति : (ओ0टी0एस0 गाइडलाइन्स 2010 के अनुसार) यदि इकाई की सम्पत्ति हटाई/चोरी नहीं हुई है तो, i)मूलधन रु0 10.00लाख तक ii)मूलधन रु010.00 लाख से रु0 25.00लाख तक iii) रु025.00लाख से अधिक iv) जहॉ चोरी व बन्धक सम्पत्ति हटाई गई हो। v) सेटिलमेंट कमेटी के अन्तर्गत न आने वाले मामले।	नियमानुसार सम्पूर्ण प्रस्ताव सम्पूर्ण सूचनायें एवं टोकन मनी प्राप्त होने के उपरान्त : सामान्यतः एक से डेढ माह	क्षेत्रीय प्रबन्धक/जोन प्रभारी प्रबन्ध निदेशक समझौता/कार्यकारिणी समिति (सेटिलमेंट कमेटी) कार्यकारिणी समिति (ई0सी0)

	इकाइयों की बिक्री के प्रस्ताव	अधिकतम बोली के प्रस्तावों के प्रकाशन के पश्चात ।	
	1.यदि मूलधन रु0 5.00लाख हो तथा प्रस्ताव इकाई के मूल्यांक के बराबर या अधिक हो ।	30 दिन	सेटिलमेट कमेटी
	2.मूलधन रु05.00लाख से रु010.00लाख तथा प्रस्ताव इकाई के मूल्यांक के बराबर या अधिक हो ।	45दिन	सेटिलमेट कमेटी
	3.मूलधन रु0 10.00लाख से रु025.00लाख तक तथा प्रस्ताव इकाई के आर0आर0वी0 के बराबर हो	60दिन	सेटिलमेट कमेटी
	4.मूलधन रु025.00लाख से 100.00लाख तक तथा प्रस्ताव इकाई के आर0आर0वी0 के बराबर हो	60दिन	सेटिलमेट कमेटी
	5.मूलधन रु0100.00लाख से अधिक तथा अन्य सभी प्रस्ताव जो उपरोक्त में नहीं आते हों एवं समस्त संयुक्त वित्त पोषित (Joint financing)	60दिन	सेटिलमेट कमेटी
4	अदेयता प्रमाण पत्र (No Dues Certificate)	07 दिन (सम्पूर्ण ऋण खर्चे एवं ब्याज देने के बाद)	क्षेत्रीय प्रबन्धक
5	निगम से खरीदी गयी इकाई का विक्रय विलेख (Sale Deed)	15दिन (बिक्री की सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज के जमा होने के पश्चात)	क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय कार्यालय के विधि अधिकारी
6	निगम द्वारा सभी प्रपत्रों जैसे सेल डीड, बाण्ड आफ गारण्टी को वापस करने आदि	07 दिन (ऋण ओ0टी0एस0/सेल आदि की सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज एवं खर्चे के वापस करने के पश्चात)	क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय कार्यालय के विधि अधिकारी
7	इकाई की लेखा स्थिति के सम्बन्ध में	02 दिन	क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी लेखा
8	क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों की शिकायत के सम्बन्ध में	30 दिन	क्षेत्रीय प्रबन्धक/ महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक

उद्यमी के दायित्व

1. समय से ब्याज व मूलधन की किश्तों की समयबद्ध अदायगी ।

2. इकाई की चल व अचल सम्पत्तियों का सुचारु रुप से देखभाल ।

3 उद्योग के आधार पर इकाई की सम्पत्तियों का आवश्यक बीमा ।

4 निगम द्वारा समय समय पर वॉछित सूचनाओं की आपूर्ति ।

U.P. Financial Corporation

उद्यमियों की कठिनाइयों एवं शिकायतों का निराकरण

उद्यमी अपनी किसी भी प्रकार की कठिनाइयों एवं शिकायतों के सम्बन्ध में मुख्यालय में तैनात निगम के निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं :

	कार्यालय दूरभाष
1- प्रबन्ध निदेशक	0512-2530868
2- वरिष्ठ प्रबन्धक	0512-2530041-44

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्यमी विभागीय कठिनाइयों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित कर अपनी कठिनाइयों का निराकरण करा सकते हैं जो कि वरिष्ठ प्रबन्धक स्तर पर पदासीन है। इसी प्रकार उद्यमी अपनी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर की कठिनाइयों के निराकरण हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं ।

किसी विशेष शिकायत के सम्बन्ध में उद्यमी लिखित रुप से शिकायत मुख्यालय के तत्सम्बन्धित अधिकारियों को सीधे प्रेषित कर सकते हैं, इस हेतु यह आवश्यक होगा कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के सम्बन्ध में ठोस प्रमाण सहित अपना नाम व पूरा पता भी अपनी शिकायत में अंकित करें ।

उद्यमियों से निवेदन है कि जब भी वे निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में अपने किसी भी कार्य के निस्तारण हेतु आयें तो वे केवल सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों से ही सम्पर्क स्थापित करें ।

मुख्यालय का पता

मुख्यालय का पता	दूरभाष	फैक्स
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 14 / 88, सिविल लाइन्स, कानपुर 208001	0512-2530041-44	0512-2530073 2533743

क्षेत्रीय कार्यालय का पता	दूरभाष	फैक्स
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 46, गोपी चन्द शिवहरे मार्ग, आगरा।	0562-225058	225952
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, एच.आई.जी. 160,161,162 प्रीतम नगर कालोनी, प्रयागराज।	0532 2230069	2401308
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 122, प्रथम तल, कामर्सियल काम्पलेक्स, सिविल लाइन्स, बरेली ।	0581 2424822	2424822
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम प्रथम तल, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, प्राइवेट बस स्टैण्ड कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।	0120 4108890	2790890
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, बेतियाहाता,सॉई काम्पलेक्स, सी0पी0–25 कोर्ट आफ वर्ल्ड, इनफ्रन्ट आफ मुँशी प्रेमचन्द्र पार्क, गोरखपुर।	0551 2334189 2341920	2334767
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 14 / 88, सिविल लाइन्स, चतुर्थ तल, कानपुर ।	0512 2530874	2530812
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 18, मदनमोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।	0522 2209633 2206347	2205928
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, बी–9 / 10, पाण्डव नगर, मेरठ।	0121 2670635	2671620
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, शाप कम कामर्सियल काम्पलैक्स सेक्टर–6, नोएडा।	0120 4335164 4335165 4335166	2422945
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, शास्त्री नगर, सिगरा, वाराणसी।	0542 2220568	2220986

U.P. Financial Corporation